आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, नरेन्द्रनगर, कुमारगंज, अयोध्या–224 229 (उ0प्र)

पत्रांक–ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/प्र0सहा/लोकपाल/ 2023/1662 दिनांक– 15 दिसम्बर, 2023

कार्यालय–आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम 2023, अधिसूचना दिनांक–11 अप्रैल, 2023 के बिन्दु सं0–6 में विहित प्रावधानों एवं सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–D.O.No.F.1-13/2022(CPP-II) दिनांक–05.12.2023 तथा कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–ई 8488/31–जी.एस./2023 दिनांक–15.12.2023 के परिपालन में मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक–15.12.2023 के क्रम में विश्वविद्यालय के अर्न्तगत **डा0 वी.एन.राय.**, सेवानिवृत्त प्राध्यापक/अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, नरेन्द्रनगर,कुमारगंज, अयोध्या को **लोकपाल** नियुक्त किया जाता है।

लोकपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (इनमें से जो भी पहले घटित हो) होगा। लोकपाल द्वारा उक्त विनियम में विहित व्यवस्थानुसार छात्र शिकायत निवारण समिति (एस0जी0आर0सी0) के निर्णयों के विरूद्व की गयी अपीलों को सुनकर उन पर निर्णय लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(ए0के0सिंह)
निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण

पत्रांक–ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/प्र0सहा/लोकपाल/ 2023/1662 तद् दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक–15.12.2023 के क्रम में संज्ञानार्थ।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
3. डा0 वी.एन.राय., सेवानिवृत्त प्राध्यापक/अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, 95 एम.आई. कौशलपुरी कालोनी, फेज–1, जिला–अयोध्या। अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम 2023 की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि सुनवाई का संचालन करने हेतु प्रतिदिन प्रति बैठक के आधार पर विश्वविद्यालय नियमानुसार शुल्क का भुगतान व यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति आपको की जायेगी।
4. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से समस्त शिक्षकों को सूचित करने का कष्ट करें।
5. वित्त नियंत्रक को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विनियम के बिन्दु सं0–6 (छ:) पर लोकपाल को प्रतिदिन प्रति बैठक के आधार पर भुगतान हेतु शुल्क का निर्धारण करने का कष्ट करें।
6. कुलसचिव।
7. विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों के समस्त छात्र–छात्राओं को उनके अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष एवं वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ।
8. विभागाध्यक्ष, कृषि सांख्यिकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. कुलपति के सचिव को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
10. सम्बन्धित पत्रावली/लेखा पटल/गार्ड फाइल।

(ए0के0सिंह)
निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण

Power delegation-Prabhar